Palika Bhawan, Near 6 no Bus Stop, Shivaji Nagar, Bhopal – 462016
Tel. 0755- 2573832 Fax 0755-2552016
Website: www.mpurban.gov.in

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र.,भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

क्रमांक / शा–9 / यु.स्वा.यो / 2019 / 7558 भोपाल, दिनांक 18-04-2019

/ / कार्यवाही विवरण / /

मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना की समीक्षा बैठक प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 10.04.2019 को अपरान्ह 4:00 बजे उनके प्रति कक्ष में आयोजित की गई।

समीक्षा बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

1. श्री परमेश जलोटे, उपसंचालक व नोडल अधिकारी (YSY), नगरीय प्रशासन एवं विकास
2. श्री विनय पाण्डेय, सहायक संचालक, मैप आईटी, भोपाल
3. श्री अभिषेक तिवारी, नोडल अधिकारी MMKSY, कौशल विकास विभाग
4. डॉ. मनोज पाण्डेय, सहायक नोडल अधिकारी (YSY), नगरीय प्रशासन एवं विकास
5. श्री आसिम खान, एमआईएस (YSY), नगरीय प्रशासन एवं विकास
6. श्री मुकुंद तिवारी, कसंलटेंट (YSY), मैप आईटी, भोपाल

1. बैठक के आरंभ में श्री परमेश जलोटे द्वारा युवा स्वाभिमान योजना के दिनांक 08 / 04 / 2019 से प्रारंभ काउंसलिंग उपरांत प्रगति से अवगत कराया।
2. कौशल विकास विभाग द्वारा बताया गया कि उनके पास कौशल प्रशिक्षण हेतु कुल 27 ट्रेड में 22552 रिक्तियां उपलब्ध है। जिसमें दिनांक 08 / 04 / 2019 की काउंसलिंग से पूर्व 5300 रिक्तियां भरी जा चुकी है। आज दिनांक 10 / 04 / 2019 के अपरांह् 01:00 बजे तक कुल 2543 रिक्तियां ऑनलाइन भर गयी है एवं ट्रेनिंग पार्टनर्स द्वारा लगभग 6300 युवाओं के ऑफलाइन रिक्तियां उपलब्ध करायी है। जिन्हें की ऑनलाइन करने की प्रक्रिया जारी है।
3. प्रमुख सचिव महोदय द्वारा काउंसलिंग के उपरांत ट्रेडवार (Tradewise) व निकायवार (ULBwise) कितने नामांकन (Enrolment) हो गये है एवं कितनी सीटस (Seats) अभी भी रिक्त है, की जानकारी चाही। उपयुक्त जानकारी समय पर न उपलब्ध होने से कारण उन्होनें अपना रोष भी व्यक्त किया।
4. ट्राइडेंट संस्था द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था कि वे इस योजना के युवाओं को विभिन्न प्रशिक्षण ट्रेडों में प्रशिक्षित करने के लिए उत्सुक है एवं इस कार्य के लिए शासन अथवा युवा से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। ट्राइडेंट संस्था द्वारा युवाओं को प्रशिक्षण में निर्धारित राशि भी प्रदान की जाऐगी। साथ ही युवाओं को युवा स्वाभिमान योजना अंतर्गत निर्धारित स्टाइपेंड भी शासन द्वारा देय होगा चूंकि युवा स्वाभिमान योजनान्तर्गत प्रशिक्षण कौशल विभाग के अधीन रखा गया है। अतः यह निर्णय नीतिगत होने से प्रशासकीय अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश प्रमुख सचिव द्वारा दिये गये।

– **ट्राइडेंट संस्था के इस प्रस्ताव को उपयुक्त पाते हुए प्रमुख सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा संस्था से योजना अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण का कार्य कराया जाए।** यदि अन्य कोई संस्था भी इसी तरह के प्रस्ताव प्रस्तुत करती है तो उन्हें भी कौशल प्रशिक्षण का कार्य दिया जाए।

5. इस योजना के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न विभागों की योजनाओं में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमति हो गयी है। अतः इसके लिए समस्त विभागों को पत्र के माध्यम से कार्य हेतु सूचित करें।
6. मैप आईटी विभाग को योजना के वर्जन–2 की तैयारी 22 अप्रैल 2019 तक पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया।
7. ऐसे युवा जिन्होनें अभी तक कौशल प्रशिक्षण हेतु नामांकन कर लिया है। केवल उनसे पोर्टल के माध्यम से बैंक डीटेल प्राप्त की जाए। शेष से पंजीकरण के समय ही आधार आधारित बैंक डीटेल ली जाए। यह कार्य मैप आईटी द्वारा निर्धारित समय में पूर्ण कराया जाए।
8. योजना के विभिन्न कार्य समय पर पूर्ण करने हेतु उपसंचालक/नोडल अधिकारी (YSY) नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा मानव संसाधन की मांग की गई। प्रमुख सचिव महोदय द्वारा आउटसोर्स के माध्यम से अच्छे स्टॉफ को रखने के लिए सहमति प्रदान की गई।

तत्पश्चात् आगामी बैठक 16/04/2019 को नियत करते हुए समीक्षा बैठक समाप्त की गई।

(प्रमुख सचिव द्वारा अनुमोदित)

(परमेश जलोटे)
उपसंचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/यु.स्वा.यो/2019/7559 **भोपाल, दिनांक 18/04/2019**

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल, मध्यप्रदेश
3. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश शासन की ओर सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मैप आईटी, स्टेट डाटा सेन्टर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश शासन की ओर सूचनार्थ।
6. समस्त आयुक्त, नगर पालिक निगम मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
7. संचालक/अपर संचालक, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ।
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ।
9. समस्त परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ।
10. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. समस्त नोडल अधिकारी, मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना, मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ।

उपसंचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल